न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 123/2017

वादीगण :- बनाम प्रतिवादी

1 रतनी पत्नि गुणेशराम
2. नाथूराम पुत्र गुणेशराम
3. पप्पूराम पुत्र गुणेशराम
जातियान कुमावत,
निवासीगण-धनेरिया,
तहसील जैतारण जिला
पाली।

तहसीलदार जैतारण,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 एल.आर. एक्ट

तारीख रजू:.16/6/2017

उपस्थितः. 1. श्री किशोर कुमावत, इमरान खान अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 05/02/2018

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 एल.आर. एक्ट के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-धनेरिया पटवार हल्का केकीन्दड़ा तहसील जैतारण में वादीगण एवं अन्य खातेदारो की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी व शामलाति भूमि खसरा नंबर 266 रकबा 11-00 बीघा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 267 रकबा 70-04 बीघा किस्म बारानी बव्वल, खसरा नंबर 268 रकबा 38-05 बारानी अव्वल, खसरा नंबर 272 रकबा 28-16 बीघा बारानी अव्वल, खसरा नंबर 461 रकबा 15-04 बीघा बारानी दोयम, बीघा की भूमि आई हुई है। उक्त भूमि की नकल चालू जमाबंदी इस वादपत्र के साथ पेश है। उक्त भूमि को आगे वादपत्र में विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जाएगा। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादीगण का माफिक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है एवं इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर के काश्त करते चला आ रहे है, वादीगण रतनी के पति का नाम गुणाराम व फूसाराम पुत्र गुणाराम व पप्पूराम पुत्र गुणाराम चला रहा है जो कि तत्कालीन आरआई पटवारी ने वादीगण के पति व पिता व स्वयं वादीगण संख्या 02 नाथूराम की जगह फूसाराम गलत इन्द्राज कर दिया है जबकि मूल नाम रतनी पत्नि गुणेशराम, नाथूराम पुत्र गुणेशराम व पप्पूराम पुत्र गुणेशराम है, जो सही नाम है। जिनका सभी सरकारी दस्तावेजात में भी इन्हीं नामों से जाना व पहचाना जाता है एवं इसी अनुसार सरकारी दस्तावेज में नाम दर्ज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त नामों की रोंग एन्ट्री कर दी गई है, जो कि सहवन की भूल से हुआ है जो एक रोंग एन्ट्री की तारीफ में आता है जिसको दुरुस्त कराने बाबत यह वादपत्र घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती का श्रीमान के समक्ष पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त वर्णित आराजी के खसरा नंबरान में वादीगण के नाम गलत इन्द्राज है, जिससे वादीगण को अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि उपरोक्तं खसरों की भूमि में एवं अन्य सरकारी दस्तावेजात वादीगण के अलग-अलग नाम होने से बैंक से ऋण, कनेक्शन लेने एवं अन्य सभी सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में वादीगण को दिक्कतों का सामना करना पड. रहा है इसलिए वादीगण का उपरोक्त खसरा नंबरान की भूमि में गलत नाम रतनी पत्नि गुणाराम के स्थान पर सही नाम रतनी पत्नि गुणेशराम, फूसाराम पुत्र गुणाराम के स्थान पर नाथूराम पुत्र गुणेशराम व पप्पूराम पुत्र गुणाराम के स्थान पर पप्पूराम पुत्र गुणेशराम दुरूस्त करने हेतु यह वादपत्र घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। वादीगण के अन्य सरकारी दस्तावेजात में सह नाम इन्द्राज चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड के उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान की भूमियों में नाम गलत इन्द्राज हो जाने की वजह से अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से दिनांक 17-05-2017 को प्रतिवादी को एकलिखित में प्रार्थना पत्र जमाबंदी में नाम के सही व दुरूस्त इन्द्राज कराने का प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने का कहा तब वादीगण का यह वादपत्र बाबत अपने नाम की दुरूस्ती कराने की घोषणा कराने के बाबत बहक वादीगण विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है एवं न ही अन्य सहखातेदारों के वादीगण के इस वादपत्र से कोई हिस्से की प्रभावित हो रहे है। प्रतिवादी तहसीलदार जो कि भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है एवं वादीगण का नमा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से मना करने से आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से उनको बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 17.05.2017 को वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड मे अपना सही नाम दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार होने पर बमुकाम धनेरिया-जैतारण में पैदा हुआ है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण ने जबाब दावा मय पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट एवं वादीगण के भारतीय निर्वाचन विभाग का पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति पेश किये, सा.मि. किये गये। तहसीलदार ने जाहिर किया कि वादीगण के पति एवं पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में गुणाराम दर्ज हैं। प्रस्तुत दस्तावेजात में गुणेशराम नाम दर्ज हैं। बहस वकील वादी की सुनी गई। वकील वादी ने बहस में जाहिर किया कि वादीगण के पति एवं पिता का सही नाम गुणेशराम हैं जबकि राजस्व रेकर्ड में गलत नाम गुणाराम दर्ज हैं जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं।

बहस समायत की गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाबदावा एवं साक्ष्य शपथ-पत्र का गहनत से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वाद-पत्र के साक्ष्य सबूत में रतनी का आधार कार्ड संख्या 774175651201, नाथूराम का आधार कार्ड संख्या 444272519084, पप्पूराम का आधार कार्ड संख्या 210469412603, रतनाई के भारतीय निर्वाचन विभाग के पहचान पत्र संख्या

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

RJ/21/159/393125 एवं नाथूराम के भारतीय निर्वाचन विभाग के पहचान पत्र संख्या NQJ/0489567 की फोटो छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे वादीगण का सही नाम रतनी पत्नि गुणेशराम, नाथूराम पुत्र गुणेशराम व पप्पूराम पुत्र गुणेशराम ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से रतनी पत्नि गुणाराम, के स्थान पर रतनी पत्नि गुणेशराम, फूसाराम पुत्र गुणाराम के स्थान पर नाथूराम पुत्र गुणेशराम एवं पप्पूराम पुत्र गुणाराम के स्थान पर पप्पूराम पुत्र गुणेशराम दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–धनेरिया पटवार हल्का केकीन्दड़ा तहसील जैतारण में वादीगण एवं अन्य खातेदारो की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी व शामलाति भूमि खसरा नंबर 266 रकबा 11–00 बीघा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 267 रकबा 70–04 बीघा किस्म बारानी बव्वल, खसरा नंबर 268 रकबा 38–05 बारानी अव्वल, खसरा नंबर 272 रकबा 28–16 बीघा बारानी अव्वल, खसरा नंबर 461 रकबा 15–04 बीघा बारानी दोयम, बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण के गलत दर्ज नाम रतनी पत्नि गुणाराम, के स्थान पर रतनी पत्नि गुणेशराम, फूसाराम पुत्र गुणाराम के स्थान पर नाथूराम पुत्र गुणेशराम एवं पप्पूराम पुत्र गुणाराम के स्थान पर पप्पूराम पुत्र गुणेशराम दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 05/02/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner